कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर
(जिला एवं सेशन न्यायालय) जोधपुर महानगर
(फोन नं. – 0291–2540351; ई–मेल आई0डी0: dlsa23jodhpurmetro@gmail.com)

क्रमांकः जि.वि.से.प्रा.जो.महा./PLV–विज्ञप्ति/2019/01 दिनांकः 15.10.2019

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ–2/रालसा/डीएस–प्रथम/26254 दिनांक 13.09.2019 के निर्देशानुसार जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र हेतु 32 पैरा लीगल वॉलिण्टियर्स के पदों पर बाद प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

पंचायत समिति का नाम	पीएलवी की संख्या
जोधपुर महानगर, जोधपुर	20
पंचायत समिति, लूणी	04
पंचायत समिति, मण्डोर	04
पंचायत समिति, तिंवरी	04

1. **शैक्षणिक योग्यताः** आवेदक का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी होनी चाहिए।

2. **आवेदन पत्रः** इस पद हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।
3. **परीक्षाः** आवेदकों का साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नियमानुसार प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करने पर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा तथा सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा।
4. **चरित्रः** आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
5. **शारीरिक योग्यताः** आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होने चाहिए।
6. **आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावेंः**
   - जन्मतिथि प्रमाण हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   - शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति।
   - दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
   - आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
   - जाति प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।
7. **आवेदन की अंतिम तिथिः** आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कार्यालय में दिनांक 24.10.2019 को सांय 05.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

पात्रताः

निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. हेतु आवेदन कर सकते हैं:– सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्ल्यू. छात्र/छात्राएं व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/ फिजिशियन, छात्र/छात्राएं व विधि छात्र/छात्राएं (जब तक वे वकालत के लिए एनरोल न हों), गैर राजनीतिक दलों के सदस्य, सेवाभावी एन.जी.ओ., क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो। पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. चयन हेतु अनु.जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के संबंध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

8. **<u>चयनित पी.एल.वी. के कर्त्तव्य (ड्यूटी):</u>**

- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत करवाना।
- पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दं.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वॉयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- विवादों का सेटलमेन्ट, प्रि–लिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, आदि के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उनके क्षेत्र में होने वाली विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, अस्पताल, बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवाएं, आवासीय सेवाएं, लिक्वीफाइड पेट्रोलियम, गैस संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराय गये मेटीरियल का प्रचार व प्रसार करना।

9. **<u>साक्षात्कार:</u>** जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र हेतु पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की नियुक्ति बाबत् आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार 04.11.2019 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कार्यालय में सम्पादित किया जायेगा।

10. **<u>स्पष्टीकरण: यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य हेतु इच्छुक पंचायत सतिति का नाम अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात् जिला स्तर पर या किसी पंचायत समिति में पी.एल.वी. के रूप में कार्य करना चाहता है, उस पंचायत समिति का नाम आवेदन पत्र में स्पष्ट अंकित करे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत आवेदक को ही प्राथमिकता दी जायेगी। यदि स्थानीय निवासी न मिले तो ही पड़ौस के पंचायत समिति के निवासी पर आवेदक के आवेदन पर विचार किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर द्वारा समय–समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।</u>**

नोट :– आवेदन का प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर, न्यायक्षेत्र की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/jodhpurmetro से भी डाउनलोड कर सकते है।

नोट :– <u>आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।</u>

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायधीश)
जोधपुर महानगर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(जिला एवं सेशन न्यायालय) जोधपुर महानगर

फोन नं. 2540351, ईमेल– **dlsa23jodhpurmetro@gmail.com**

अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1. आवेदक का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. विवाहित/अविवाहित : ....
   (विवाहित होने की स्थिति में पति/पत्नि का नाम लिखें)

4. जाति : ....

5. संवर्ग – सामान्य/अनुसूचित जाति/ : ....
   अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वह लिखें)

6. स्थाई पता मय दूरभाष/मोबाईल नम्बर : ....
   ....
   ....

7. वर्तमान पता : ....
   ....

8. स्थानीय पंचायत समिति का नाम : ....

9. पड़ौस की पंचायत समिति का नाम : ....

10. आवेदक पीएलवी के रूप में जिस स्थान /क्षेत्र में स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है उस पंचायत समिति का नाम : ....

11. निकटतम पुलिस स्टेशन : ....

12. जन्म तिथि (अंकों में) : ....
    (शब्दों में) : ....
    वर्तमान आयु : ....

13. शैक्षणिक योग्यता : ....

14. यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है, : ....
    तो किस पद से सेवानिवृत हुए

15. आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण : ....
....

16. यदि पूर्व में सामुदायिक कार्यकर्ता (Community Worker) के रूप में कार्य किया गया हो तो उसका संक्षिप्त विवरण (हॉ/नहीं) : ....
....
....

17. कम्प्यूटर ज्ञान (हॉ/नहीं) : ....

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी ....सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैं.. पंचायत समिति में पीएलवी के रूप में कार्य करने का इच्छुक हूँ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कार्यालयः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर

जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर

(फोन नं. : 0291–2540351; ई–मेल आई0डी0: dlsa23jodhpurdmetro@gmail.com)

क्रमांकः 1754- 1803 दिनांकः 15/10/13

प्रथम प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा द्वितीय प्रति वास्ते नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित हैं :

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान् जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर/जोधपुर जिला
3. श्रीमान् संभागीय आयुक्त, जोधपुर
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर
5. श्रीमान् पुलिस कमिश्नर, जोधपुर
6. श्रीमान् पुलिस उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम), जोधपुर
7. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर
8. श्रीमान् उपसचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान बार काउन्सिल, जोधपुर
10. श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स/लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर
11. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर
12. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
13. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्रीमन् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
15. श्रीमान् अधीक्षक, मथुरादास माथुर अस्पताल/महात्मा गांधी अस्पताल/उम्मेद अस्पताल, जोधपुर
16. श्रीमान रजिस्ट्रार, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
17. श्रीमान् रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर
18. श्रीमान् विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
19. श्रीमान् प्राचार्य, महिला विधि विश्वविद्यालय, प्रतापनगर जोधपुर
20. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक), जोधपुर
21. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक), जोधपुर
22. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, लूणी/मण्डोर/तिंवरी
23. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
24. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर
25. उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर
26. अध्यक्ष महावीर इन्टरनेशनल/रोटरी क्लब/लॉयन्स क्लब/नवजीवन संस्थान, जोधपुर
27. अध्यक्ष, पेंशनर हितकारी न्यास, जोधपुर

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायालय)
जोधपुर महानगर